स्थापना वर्ष - 1965

शासनाधीन 01.10.1982

GOVT. S.V. COLLEGE - TEONTHAR, REWA (M.P.)

विद्या ददाति विनयं

# शास० स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय

## त्योंथर, जिला-रीवा (म.प्र.)

समस्त सूचनायें इसमें प्रकाशित हैं,
विवरण पुस्तिका सुरक्षित रखें।

# प्रवेश विवरणिका

## प्राचार्य की कलम से :-

।। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत ।।

स्वामी विवेकानन्द

शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय त्योंथर तराई अंचल का सात दशक पुराना महाविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों में पठन-पाठन में रूचि पैदा करना तो रहा ही है साथ ही उनमें चरित्र निर्माण, आत्म विश्वास, निर्भीकता, नैतिकता, पुरूषार्थ को स्थापित कर सांस्कृतिक अकादमिक गुणों को प्रदान करते हुए उनमें व्यक्तितत्व का विकास कराना है। जिससे वे अपने जीवन प्रबंधन में कुशल हो सकें।

महाविद्यालय में विषय विशेषज्ञों विद्वान प्राध्यापकों से विद्यार्थी अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों में लाभ लेकर देश के अच्छे नागरिक बनें एवं महाविद्यालय में अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखते हुये महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने में हमारा सहयोग प्रदान करें।

प्राचार्य

**डॉ0 अन्जना सिंह**

शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय

त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0)

# विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन पत्र

**सन् 20 ..... - 20 ..**

# शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय

## त्योंथर, जिला-रीवा (म0प्र0)

**स्थापना वर्ष - 1965 (शासनाधीन 01.10.1982)**

**दूरभाष नं. : 07661299040**

ई-मेल : hegsvcteorew@mp.gov.in

## महाविद्यालय का परिचय

मध्यप्रदेश के सोहागी पहाड़ी के तराई अंचल में स्थित रीवा जिले के तहसील मुख्यालय त्योंथर में शास0 स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय वर्ष 1965 में स्थापित होकर उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। यह महाविद्यालय रीवा जिले का एक प्रमुख महाविद्यालय है, इस महाविद्यालय में स्नातक स्तर तक कला, विज्ञान एवं विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है। विधि की बार काउंसिल ऑफ इण्डिया (BCI) से मान्यता प्राप्त है। स्नात्तकोत्तर स्तर पर रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषय से अध्यापन की भी व्यवस्था है। यह महाविद्यालय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म0प्र0) से सम्बद्ध है। पूर्व में इस महाविद्यालय का संचालन कार्य स्थानीय शिक्षा समिति के माध्यम से होता रहा है। परन्तु 01 अक्टूबर 1982 से इस महाविद्यालय को म.प्र. शासन द्वारा शासनाधीन किया जा चुका है। सत्र 2018-2019 से विश्व बैंक परियोजना एवं उच्च शिक्षा विभाग के तहत महाविद्यालय का उनन्यन किया गया है।

## लक्ष्य

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों को देशहित में अच्छा और ईमानदार नागरिक बनने की दिशा में प्रयास। महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों की दिशा, विद्यार्थियों को समाज के नव-निर्माण, समानता के अधिकार एवं गरिमामय व्यक्तित्व की सीख देने की ओर केन्द्रित होगी ताकि समुचित शिक्षा के आलोक से विद्यार्थी एक सुसंस्कृत, उत्तरदायी, संवेदनशील व्यक्ति तथा देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें।

## उद्देश्य :-

- समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु युवा पीढ़ी को गुणात्मक शिक्षा एवं शोध के अवसर प्रदान करना।
- व्यावसायिक एवं उद्यमी समाज के परिदृश्य के अनुरूप सभी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी के कौशल को तराशना, दक्षता प्रदान करना।
- युवा पीढ़ी में आत्म-विश्वास का संचार, व्यक्तित्व विकास, अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियाँ, समानता की भावना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना प्रस्फुटित करने हेतु वातारण प्रदान करना।
- ज्ञानपूर्ण और कल्याणकारी समाज के सतत् उनन्यन के लिये शिक्षा के सदुपयोग से मुख्य भूमिका का निर्वहन करना।

## सेमेस्टर पद्धति (परिचय)

शासन द्वारा सत्र 2021-2022 में नई शिक्षा नीति से महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में सत्रीय कक्षा/ स्नातकोत्तर एवं विधि कक्षा में सेमेस्टर पद्धति (Semester System) लागू की गई है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक छः माह पश्चात् सेमेस्टर परीक्षायें अयोजित होगी। प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं हेतु विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने होंगे। इन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी किसी विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हे ए.टी.के.टी. (Allowed to Keep Term) प्राप्त होती है। उन्हे ए.टी.के.टी. प्रत्येक विषय हेतु परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क के साथ अलग से जमा करना होगा। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में जाने के पूर्व विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस पद्धति में विद्यार्थी को सतत् मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रोजेक्ट वर्क जॉब इंटर्नशिप के लिये अंकों का निर्धारण किया गया है। परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों में उपरोक्त के लिये निर्धारित अंकों को जोड़ा जावेगा।

## I महाविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम (वार्षिक परीक्षा पद्धति) एवं उपलब्ध स्थान (सीट्स)

1- बी.एस-सी. मैथ (70 सीट्स) 2 - बी.एस-सी. बायो (240 सीट्स)
3 - बी.ए. (230 सीट्स) 4- विधि (180 सीट्स)

### - स्नातक स्तर -

### वार्षिक परीक्षा पद्धति (नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार)

### बी.ए. बी.एस-सी. अनिवार्य विषय :- आधार पाठ्यक्रम

**आधार पाठ्यक्रम**

(1) हिन्दी भाषा (2) अंग्रेजी भाषा (3) योग एवं ध्यान/पर्यावरण अध्ययन स्टार्टअप एवं उद्यमिता/महिला सशक्तिकरण, व्यक्तित्व विकास/डिजिटल जागरुकता

**वैकल्पिक विषय मेजर माईनर एवं ओपेन इलेक्टिव**

**कलासंकाय**

1- हिन्दी साहित्य
2- राजनीति
3- अर्थशास्त्र/अंग्रेजी
4- समाज शास्त्र/इतिहास
5- संस्कृत साहित्य/भूगोल

**विज्ञान संकाय**

1- भौतिक शास्त्र
2- रसायन शास्त्र
3- वनस्पति शास्त्र
4- प्राणि शास्त्र
5- गणित

**विधि संकाय**

1-एल.एल-बी. (तृवर्षीय)
(प्रथम से षष्टम से. की सम्पूर्ण निर्धारित विषय)

**वोकेशनल विषय**

नोट : नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को कला/विज्ञान संकाय में से तीन विषय का चयन किया जाना है। जिसमें एक विषय मेजर एक माईनर और एक चयनित विषय होगा इसके साथ एक वोकेशनल पेपर एवं प्रोजेक्ट/इन्टर्नशिप का चयन करना होगा।

**स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स कोर्स मेजर विषय से ही किया जा सकेगा।**

**नोट : सत्र 2025- 2026 में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर पर वार्षिक परीक्षा पद्धति लागू रहेगी।**

**स्नातकोत्तर एवं एल.एल.बी. में सेमेस्टर पद्धति लागू होगी**

## II स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान (सीट्स)

स्नातकोत्तर स्तर पर (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में) सेमेस्टर पद्धति लागू होगी

### (A) एम.ए. में पढ़ाए जाने वाले विषय

1- राजनीतिशास्त्र (30 सीट्स)
2- समाजशास्त्र (30 सीट्स)

### (B) एम.एस-सी. में पढ़ाए जाने वाले विषय

1- वनस्पतितिशास्त्र (50 सीट्स)
2- रसायनशास्त्र (50 सीट्स)

# अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2024-2025 (सेमेस्टर कक्षाओं के लिए प्रभावशील)

| अकादमिक कार्य | स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय | स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ |
|---|---|---|
| आरंभिक कक्षायें | 01 जुलाई 2025 | 21 दिसम्बर 2025 |
| शैक्षणिक कार्य | 01 जुलाई 2025 से 08 नवम्बर -2025 | 21 दिसम्बर 2025 से 17 अप्रैल 2026 |
| सी.सी.ई. कार्य | सितम्बर तृतीय सप्ताह | मार्च द्वितीय सप्ताह |
| प्रायोगिक परीक्षाएँ | 19 अक्टूबर 2025 से 07 नवम्बर 2025 के मध्य | 01 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 के मध्य |
| परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश | 16 नवम्बर 2025 से 21 नवम्बर 2025 | 18 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 |
| सेमेस्टर एवं एटी केटी परीक्षा | 22 नवम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 | 23 अप्रैल 2025 से 15 मई 2026 |
| सेमेस्टर अंतराल (ब्रेक) विद्यार्थी के लिए | 13 दिसम्बर 2025 से 20 दिसम्बर 2025 | 16 मई 2026 से 30 जून 2026 |
| परीक्षा परिणामों की घोषणा | 31 दिसम्बर 2025 तक | 10 जून 2026 तक |

- प्रवेश उत्सव कार्यक्रम :- जुलाई 2025
- छात्र संगठन :- सितम्बर 2025
- खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव — माह नवम्बर 2025 तक 2026 दीक्षान्त समारोह एवं अन्य सम्पूर्ण गतिविधियाँ पूर्ण कर ली जाएँ
- दीपावली अवकाश — दिनांक 28 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2025 तक (05 कार्य दिवस)
- स्नेह सम्मेलन/वार्षिक वार्षिकोत्सव/पुरस्कार वितरण वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन — फरवरी 2026 द्वितीय सप्ताह

**टीप :-**

(1) अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य निर्धारित मानक दिवसों से कम होने की दशा में महाविद्यालय/विधि स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाये ताकि अकादमिक कैलेण्डर का पालन समयानुसार सुनिश्चित किया जा सके।

(2) स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु नवीनीकरण प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शैक्षणिक कार्य दिवस कम होने पर अतिरिक्त कक्षाएँ संचालित कर पाठ्यक्रम पूर्ण किया जावेगा।

# अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2024-2025 (वार्षिक पद्धति-स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष कक्षाओं हेतु प्रभावशील)

| क्र० | विवरण | तिथि |
|---|---|---|
| 1. | प्रवेश प्रारम्भ | 25 मई 2025 |
| 2. | शिक्षण कार्य प्रारम्भ | 01 जुलाई 2025 |
| 3. | प्रवेश कार्यक्रम | जुलाई 2025 |
| 4. | संकाय परिवर्तन/विषय परिवर्तन/प्रवेश समस्या निवारण शिविर | प्रवेश समाप्ति के पश्चात् 30 दिवस तक |

## छात्र संघ/सांस्कृतिक, साहित्यिक/खेलकूद एवं अन्य माहविद्यालय गतिविधियाँ

| | | |
|---|---|---|
| 1. | छात्रसंघ गठन | सितम्बर 2024 25 |
| 2. | विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालय/जिला/संभाग/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएँ | ये सभी गतिविधियाँ |
| 3. | खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./युवा उत्सव/दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ | माह नवम्बर 2025 तक पूर्ण कर ली जाएँ। |
| 4. | वार्षिक स्नेह सम्मेलन/वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन एवं विमोचन | फरवरी द्वितीय सप्ताह 2025 (अधिकतम 03 कार्य दिवस) |

## आंतरिक मूल्यांकन/पूरक परीक्षा/वार्षिक परीक्षाएँ

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पूरक परीक्षा प्रारंभ | 16.09.2025 से 30.09.2025 |
| 2. | पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा | 31.10.2025 |
| 3. | तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन | सितम्बर अंतिम सप्ताह 2025 |
| 4. | छःमाही आंतरिक मूल्यांकन | दिसम्बर अंतिम सप्ताह 2025 |
| 5. | सैद्धान्तिक परीक्षा कार्यक्रम की विस्तृत घोषणा | 22 फरवरी 2026 |
| 6. | सभी स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि | 13 मार्च से 25 मार्च 2026 |
| 7. | परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश | 26 मार्च से 31 मार्च 2026 |
| 8. | वार्षिक परीक्षा | 01 अप्रैल से 31 मई 2026 |
| 9. | (i) स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि | 10 जून 2026 |
| | (ii) शेष समस्त परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि | 31 जुलाई 2026 |

## अवकाश

| | | |
|---|---|---|
| 1. | दीपावली | दिनांक 28 अक्टूबर 2025 से नवम्बर 2025 (05 कार्य दिवस) |
| 2. | ग्रीष्म अवकाश (शिक्षकों हेतु) | 16.05.2026 से 30.06.2026 (36 कार्य दिवस) |

नोट : स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाए।

# आचार संहिता (आचरण-संहिता)

1- प्रत्येक विद्यार्थी-प्राचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों और अपने सहपाठियों से शालीन एवं विनम्र व्यवहार करेंगे।

2- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत अपने विद्या अध्ययन में लगायेंगे साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित/अनुमोदित गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों में पूर्णतः सहयोग करें।

3- महाविद्यालय अर्थात् भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रवास, आदि में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता बनाये रखने में प्रत्येक विद्यार्थी रुचि लेंगे। महाविद्यालय की सम्पत्ति अर्थात् भवन साज-सज्जा, विद्युत व्यवस्था, उपकरण आदि को किसी भी रुप में क्षति नहीं पहुँचायेंगे।

4- विद्यार्थी अपनी समस्या के लिये हिंसा आन्दोलन या आतंक का मार्ग नहीं अपनायेंगे।

5- महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियाँ संचालित करना वर्जित है।

6- यदि विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वह प्राध्यापकों अथवा अति आवश्यक होने पर प्राचार्य के समक्ष पूर्ण अनुशासन से शांतिपूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ शिकायत पेटी के माध्यम से अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन तक पहुँचा सकता है। महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक-अभिभावक से संपर्क करें। किन्तु बाहरी तत्वों, समाचार पत्रें को माध्यम न बनायें।

7- विद्यार्थी को यह सावधानी रखनी होगी कि किसी अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

8- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या कराने का प्रयास करना या सहायक होना दुराचरण माना जायेगा एवं उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

9- महाविद्यालय एवं छात्रवास की सीमाओं में धुम्रपान, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।

10- महाविद्यालय की प्रवेश शुल्क पूर्णतः जमा करना अनिवार्य होगा।

11- म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रुप में सम्मिलित होने की पात्रता नही होगी।

12- रैगिंग :- मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरुद्ध महाविद्यालय प्राचार्यो की परिषद तथा एस.एल.पी. क्र. 24296-24299/2004, डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी.) नं. 173/2006 तथा एस.एस.पी. क्र. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रवास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्काषित किया जाकर उसके विरुद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

13- दण्ड :- मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम् 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्र.7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध निमननुसार दण्ड का प्रावधान है :-

1. कक्षाओं से निलम्बन
2. महाविद्यालय से निष्कासन
3 वि.वि./स्वाशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना।

# विद्यार्थियों हेतु निर्देश

1. महाविद्यालय में सत्र 2023-2024 से नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत स्नातक कक्षाओं में वार्षिक पद्धति से एवं स्नातकोत्तर तथा विधि कक्षा में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन एवं परीक्षा कार्य होगा।

2. आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।

3- विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानी पूर्वक संभालकर रखें।

4- प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियाँ एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया-प्रतियाँ अनिवार्य रुप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूचियाँ तथा प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जावेगा।

5- महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सूचनाएँ समय-समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। विद्यार्थी नियमित रुप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।

6- आवेदन की समस्त पूर्तियाँ की जानी अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

7- प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म के साथ के स्वयं के पते लिखे तीन पोस्टकार्ड आवश्यक रुप से संलग्न करें।

8- निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।

9- जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देने पर जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों/ प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रचार्य को होगा।

10- प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध (सेमेस्टर पद्धति) में लगातार 15 दिवस तथा अन्य कक्षाओं (वार्षिक पद्धति) में लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

11- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

12- महाविद्यालय में / कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा।

13- कक्षाओं में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति पूर्ण न होने पर विद्यार्थी को स्वाध्यायी के रुप में बैठना होगा।

14- रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रवास से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।

# प्रवेश संबंधी नियम

**(A) महाविद्यालय में प्रवेश :-**

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धांत/नियम 2024-25 के अन्तर्गत गुणानुक्रम एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर दिये जायेंगे।

**(B) आरक्षण संबंधी नियम :-**

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्त नियम 2024-25 में वर्णित आरक्षण नीति एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुरुप, प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदत्त की जावेगी। समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण संबंधी प्रावधान भी शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रभावशील रहेंगे।

**(C) अधिभार संबंधी नियम :-**

1- अधिभार कम मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा।

2- अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों पर अधिभार देय नहीं होगा।

3- एक से अधिक अधिभार की पात्रता की स्थिति में केवल सर्वाधिक, एक अधिभार ही देय होगा।

4- खेलकूद में विशिष्ट प्रावीण्यता के लिये निश्चित अधिभार देय होगा जो विद्यार्थी की उपलब्धि के अनुपात में शासन द्वारा प्रवेश के मार्गदर्शी नियमों के आधार पर होगा।

5- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार की पात्रता होने पर घटे प्राप्तांकों पर ही अधिभार देय होगा।

**(D) अन्य नियम :-**

1- सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची ऑन लाइन तैयार की जावेगी।

2- विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये कक्षावार अंतिम तिथि की सूचना, महाविद्यालय के सूचना पटल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी होने पर लगाई जाएगी। छात्र/छात्रा को समय सीमा में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

3- बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र/प्राविधिक प्रमाण पत्र के आधार पत्र बिना अंकसूची के आवेदन जमा किये जावेंगे। इंटरनेट से डाउनलोड कर प्राप्त अंकसूची की प्रति को भी मान्य किया जावेगा।

**(E) प्रवेश सूची का प्रकाशन :-**

1- प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु अनुशासित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देने के बाद कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत और अंकों के विवरण के साथ, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

2- प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ लगाई गई अंकसूचियों, प्रमाण पत्र की छायाप्रति को सत्यापित करने के लिये मूल अंकसूची तथा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3- निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश वैध एवं मान्य होगा।

4- घोषित प्रवेश सूची के विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने के लिये निर्धारित अंतिम तिथि व्यतीत हो जाने के बाद केवल स्थान रिक्त होने की दशा में ही विलम्ब शुल्क रु.100/- के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा। तथापि, ऐसे प्रकरणों में सेमेस्टर पद्धति में 30 जून तथा वार्षिक पद्धति में 14 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जावेगी।

5- प्रवेश दिनांक से दो माह के अन्दर प्रवेश निरस्त करने पर ही फीस 10 प्रतिशत घटाकर वापस की जाएगी, उसके बाद कोई भी फीस वापस नहीं की जाएगी।

**(F) प्रवेश के लिये आवश्यक प्रमाण पत्र :-**

महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लें रहे, विद्यार्थी अपने प्रवेश आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें :-

1- स्थानान्तरण प्रमाण (टी.सी.) की सत्यापित प्रति (प्रवेश मिलने पर मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र टी.सी.जमा करना होगा)

2- विगत परीक्षा की सत्यापित अंकसूची।

3- मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति

4- चरित्र प्रमाण पत्र।

5- जाति प्रमाण-पत्र (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों द्वारा।

6- विकलांग/निःशक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

7- अध्ययन क्रम में अंतराल होने पर प्रमाण पत्र (गैप सर्टिफिकेट)

8- सम्बल कार्ड, आधार कार्ड की सत्यापित छाया प्रति।

9- आबजन/प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) (यदि आवेदन सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल या म.प्र. के विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी मण्डल या विश्वविद्यालय का हो)।

10- जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं कक्षा की सत्यापित अंकसूची।

11- यदि स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश लेना हो तो माता/पिता/पालक का, कार्यालय में पदस्थ का प्रमाण पत्र तथा स्थानान्तरण आदेश की छायाप्रति (केवल शासकीय अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों हेतु)।

**(G) विदेशी छात्र :-**

विदेशी छात्रों को, उच्च शिक्षा विभाग एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा। विदेशी छात्रों के पास विद्यार्थी बीजा, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाणित आवास प्रमाण पत्र, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये कि छात्र एड्स बीमारी से ग्रसित नहीं है।

## ड्रेस कोड एवं परिचय पत्र :-

महाविद्यालय में छात्र के लिए सफेद सर्ट एवं स्लेटी कलर का पैन्ट एवं छात्रओं के लिए स्लेटी कलर का कुर्ता एवं सफेद रंग का पैजामा एवं दुपट्टा होगा। परिचय पत्र प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये पासपोर्ट आकार का फोटो लगा परिचय पत्र बनवाना एवं महाविद्यालय में प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। परिचय पत्र एवं गणवेश के अभाव में किसी भी प्रायोगिक परीक्षा एवं पुस्तकालय से पुस्तकें स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, कॉशन मनी नहीं मिलेगी। महाविद्यालय के समारोहों/कार्यक्रमों में परिचय पत्र के बिना प्रवेश नही मिल सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके गुमने/खो जाने पर इसकी सूचना तुरन्त महाविद्यालय एवं पुलिस थाना को देनी चाहिये। पुलिस थाने में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करने पर ही डुप्लीकेट परिचय पत्र अतिरिक्त शुल्क से बनाया जायेगा।

नोट -गणवेश एवं परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित होगा।

**स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के नियम :-**

स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रत्येक विद्यार्थियों को संबंधित विभागों से अदेय प्रमाण-पत्र (नो-ड्यूज) लेना होगा। आवेदन पत्र के साथ शुल्क की रसीद व अदेय प्रमाण पत्र संलग्न कर कार्यालय में जमा करना होगा।

**कॉशन मनी लौटने की विधि :-**

1- विद्यार्थी द्वारा टी.सी. लेने के पश्चात् ही कॉशन मनी का भुगतान होगा।

2- कॉशन मनी प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ प्रथम वर्ष प्रवेश की मूल रसीद संलग्न कर 15 दिन पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

3- महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर कॉशन मनी प्राप्त की जा सकेगी। इसके पश्चात् शासन के आदेशानुसार उक्त राशि राजसात हो जायेगी।

**रेलवे कंसेशन की सुविधा :-**

प्रवेश आवेदन फार्म में जिस स्थान का स्थायी पता अंकित किया है उसके अनुसार अवकाश में गृह नगर जाने के लिए रेलवे कंसेशन हेतु प्रमाण पत्र महाविद्यालय द्वारा दस (10) दिन पूर्ण निर्धारित फार्म में आवेदन करने पर दिया जाता है।

**छात्रवृत्तियाँ :-**

महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा देय एवं म.प्र. शासन द्वारा देय एकीकृत छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों को नियमानुसार देने की व्यवस्था है। जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर सूचना पटल पर लगाई जाती है। पात्र विद्यार्थी अपना आवेदन आयुक्त, उच्च शिक्षा की ओर, प्राचार्य के माध्यम से भेजें।

## शासकीय योजनायें

**शिक्षक-अभिभावक योजना :-**

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं बेहतर शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक-अभिभावक योजना संचालित है। विद्यार्थी महाविद्यालय में आने वाली अपनी किसी भी समस्या का निदान शिक्षक- अभिभावक के माध्यम से कर सकते है। समय-समय पर बैठक आयोजित कर, शिक्षक अभिभावक विद्यार्थियों की प्रगति एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी अभिभावक को दी जाती है।

**छात्रवृत्ति योजनाएँ -**

1) गाँव की बेटी योजना :-

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार ग्रामीण छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है।

2) एम.पी. टॉस्क छात्रवृत्ति (SC/ST/OBC)

(3) मेधावी छात्र योजना (कक्षा-12 की परीक्षा में 75 प्रतिशत एम.पी. बोर्ड एवं नेशनल बोर्ड 80 प्रतिशत

(4) मु.मं. जनकल्याण योजना (संबल) अभिभावक का पंजीयन अनिवार्य एवं स्कालर पोर्टल 0.2 में पंजीयन अनिवार्य

(5) निःशक्त जन कल्याण योजना छात्रवृत्ति। (6) आवास योजना (SC/ST)

(7) पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम माइनरटीस एण्ड नेशनल स्कालरशिप

**विवेकानंद कैरियर एवं रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ :-**

इस प्रकोष्ठ के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, युवा उद्यमियों के आवश्यक मार्गदर्शन तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

**बुक बैंक योजना :-**

महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय की जाती है।

**सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकार :-**

शासन के निर्देशानुसार प्रशासन में पारदर्शिता व्यक्त करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में लगे बड़े-बड़े बोर्डों पर जानकारियाँ अंकित कर दी गई है। विद्यार्थी बोर्ड पर उल्लेखित जानकारियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, संबंधित सत्य प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

**महिला उत्पीडन प्रकोष्ठ :-**

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ का भी प्रबन्ध किया गया है। जो छात्रओं के व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण करता है।

**संरचनात्मक सुविधायें :-**

महाविद्यालय में जो-जो संरचनात्मक सुविधायें है उनका उल्लेख करें। मॉडल के रुप में संरचनात्मक सुविधाओं के बिन्दु निम्नानुसार है :-

- समस्त कक्ष अध्यापन सुविधायुक्त।
- कक्षों में विद्यार्थी संख्या के अनुरुप फर्नीचर उपलब्ध।
- आधुनिक दृष्य-श्रव्य (Audio & Visual Aid) प्रणाली से सुसज्जित व्याख्यान कक्ष जिसमें ओवर हेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, टी.वी., वी.सी.ओ.सी.डी. प्लेयर, माइक, कैमरे, मल्टीमीडिया आदि सुविधायें उपलब्ध है।
- अध्यापन किये जाने वाले विषयों की उपकरणों से युक्त सुसज्जित प्रयोगशालायें।
- कक्षों में पर्याप्त संख्या में ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन।
- सभागृह।
- तीन स्मार्ट-क्लास कक्ष, रिमेडियल, प्रोजेक्टर कक्ष(सेमिनार)

**पुस्तकालय एवं वाचनालय :-**

- पूर्ण रुप से कम्प्यूटरीकृत लायब्रेरी/लायब्रेरी आटोमेशन कार्य प्रगति पर।
- पुस्तकालय का समय प्रतिदिन (कार्यशील दिवस) प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक।
- उपलब्ध अध्ययन सामग्री पाठ्य-पुस्तकें, जर्नल्स, पत्रिकायें, समाचार पत्र, संदर्भ एवं दुर्लभ ग्रन्थ प्रतियोगी पत्रिकाएं आदि उपलब्ध है।
- स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये विभागीय पुस्तकालय।

- आरक्षित संवर्ग के विद्यार्थियों के लिए पृथक से बुक बैंक की सुविधा।
- पिछले पाँच वर्षों के प्रश्न पत्र।
- पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी नियमावली का सूचना बोर्ड पुस्तकालय में लगा दिया गया है।

**रिमेडियल कक्षा :-**

- SC.ST. एवं कमजोर छात्रें को रिमेडियल कक्षा की सुविधा।

**क्रीड़ा सुविधायें :-**

- विशाल खेल मैदान।
- स्पोर्ट्स-रूम।
- बास्केट बॉल कोर्ट, बैडमिन्टन, क्रिकेट, कबड्डी मैट की व्यवस्था।
- शारीरिक सौष्ठन हेतु अत्याधुनिक मल्टी-जिम।
- आउटडोर गेम्स की पूर्ण सुविधायें।

**अन्य सुविधायें :-**

- शुद्ध पेयजल हेतु एक्वागार्ड युक्त वॉटर कूलर्स।
- साफ एवं स्वच्छ पुरुष तथा महिला प्रसाधन।
- छात्राओं हेतु कॉमन रुम।

## I. शैक्षणेत्तर गतिविधियाँ :-

एन.एस.एस : महाविद्यालय में संचालित ईकाइयों तथा उसमें पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी दें। एन.एस.एस. की साप्ताहिक गतिविधियों 10 दिवसीय वार्षिक शिविर की जानकारी। महाविद्यालय में एन.एस.एस. की दो इकाई 50 छात्र एवं 50 छात्रा की संचालित कार्यक्रम के अनुसार संचालित है।

## II. क्रीड़ा गतिविधियाँ :-

महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित विभिन्न खेल विधाओं के आयोजन, प्रशिक्षण एवं सहभागिता की जानकारी महाविद्यालय में क्रिकेट, बैडमिन्टन, फुटबाल, बालीबॉल आदि खेलों की व्यवस्था है जो उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी वार्षिक कलेन्डर के अनुसार आयोजित की जाती है।

## III. पूर्व छात्र परिषद (Old Boys Association) :-

1. महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों के अनुभव व ज्ञान व लाभ लेने, महाविद्यालय के विकास हेतु आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य एवं शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद गठित है। जिसका नाम-विवेकानन्द पूर्व छात्र परिषद् है।
2. महाविद्यालय में प्रतिवर्ष पुराछात्र सम्मेलन आयोजित किया जाता है। जिसमें छात्रों की ट्रैकिंग की जाती है।

सत्र 2025-26 में महाविद्यालय द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि प्रथम वर्ष के समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, अपनी शेष एम0पी0 ऑनलाईन **ISMS (INSTITUTE MANAGEMENT SYSTEM)** के माध्यम से शुल्क जमा करें। जमा किया जाने वाला शुल्क का कक्षावार विवरण :

| क्र. | कक्षा | प्रवेश शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो ग्रुप | 2280/- |
| 2. | बी.एस.सी. प्रथम वर्ष गणित ग्रुप | 2230/- |
| 3 | बी.ए. प्रथम वर्ष | 2010/- |
| 4 | बी.एस.सी. प्रथम वर्ष भूगोल विषय के लिए | 2060/- |
| 5 | एम.ए राजनीति विज्ञान पूर्वार्द्ध | 3220/- |
| 6 | एम.ए समाजशास्त्र पूर्वार्द्ध | 3220/- |
| 7 | एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र पूर्वार्द्ध | 4490/- |
| 8 | एम.एस.सी. रसायनशास्त्र पूर्वार्द्ध | 4490/- |
| 9 | विधि प्रथम वर्ष | 6740/- |
| 10 | अन्य महाविद्यालय के सनतक छात्र/छात्राओं के लिए अगर स्नातकोत्तर में प्रवेश लेते है तो, 200/- रू0 अलग से शुल्क देय होगा। | |

**सत्र 2025-26 में महाविद्यालय द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि तृतीय वर्ष के समस्त छात्र/छात्राओं के लिए जमा किया जाने वाले शुल्क का कक्षावार विवरण :**

| क्र. | कक्षा | प्रवेश शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | बी.एस.सी. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष बायो ग्रुप | 2180/- |
| 2 | बी.एस.सी. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष गणित ग्रुप | 2130/- |
| 3 | बी.ए. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष | 1910/- |
| 4 | बी.एस.सी. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष भूगोल विषय के लिए | 1960/- |
| 5 | एम.ए रानीति विज्ञान पूर्वार्द्ध | 3120/- |
| 6 | एम.ए समाजशास्त्र पूर्वार्द्ध | 3120/- |
| 7 | एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र पूर्वार्द्ध | 4390/- |
| 8 | एम.एस.सी. रसायनशास्त्र पूर्वार्द्ध | 4390/- |
| 9 | विधि द्वितीय वर्ष/ तृतीय वर्ष | 6640/- |

नोटः

- समस्त विद्यार्थी पूर्व में ऑनलाइन के माध्यम से भरी गई शुल्क को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित टोटल शुल्क में से घटाकर शेष शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा कर दोनों रसीद महाविद्यालय में जमा करें।
- कम शुल्क जमा करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- विद्यार्थी अपनी रसीद महाविद्यालय में पूर्व जमा किये गये प्रवेश आवेदन वाले विभाग में ही जमा करें।

# सत्र 2025-26 में महाविद्यालय द्वारा स्नातक/विधि/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में विभिन्न मदों से लिया जाने वाला शुल्क

| क्र. | | मद | स्नातकोत्तर कला | स्नातकोत्तर विज्ञान | स्नातकोत्तर कला | स्नातकोत्तर विज्ञान | विधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विभिन्न मदों की फीस | प्रवेश शुल्क | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | | उद्यमिता/पर्यावरण/कम्प्यूटर जागरूकता | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 3 | | वाचनालय | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | | छात्र संघ प्रवेश | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 5 | | जनभागीदारी | 1080 | 1200 | 2250 | 3420 | 6200 |
| 6 | | वार्षिक उत्सव | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 7 | | विश्वविद्यालय शरीरिक शिक्षा शुल्क | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 8 | | परिचय पत्र | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | | स्वास्थ्य परीक्षण | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | | सांस्कृतिक शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 11 | | प्रायोगिक शुल्क | 50 | 150 | 50 | 50 | |
| 12 | | साइकल स्टैण्ड | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | | अवधान राशि | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 14 | | वाह्य परीक्षा केन्द्रीय शुल्क | | | | | |
| 15 | | विश्वविद्यालय नामांकन MP Board/Other | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय |
| 16 | | **योग** | **2510** | **2730** | **2880** | **4150** | **6440** |
| 17 | परीक्षा शुल्क | संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिये निर्धारित किया गया परीक्षा शुल्क | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय |
| 18 | अन्य नॉन रिफन्डेबल फीस | शिक्षण शुल्क | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| | | सम्मिलित निधि | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | क्रीड़ा गतिविधियाँ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | निर्धन छात्र कल्याण निधि | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन प्रकोष्ठ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | रेडक्रॉस सोसायटी शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | अन्य शुल्क | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | **योग** | 300 | 300 | 340 | 340 | 300 |
| | | **महायोग** | **2810** | **3030** | **3220** | **4490** | **6740** |

# सत्र 2025-26 में महाविद्यालय द्वारा स्नातक/विधि/स्नातकोत्तर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में विभिन्न मदों से लिया जाने वाला शुल्क

| क्र. | | मद | स्नातकोत्तर कला | स्नातकोत्तर विज्ञान | स्नातकोत्तर कला | स्नातकोत्तर विज्ञान | विधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विभिन्न मदों की फीस | प्रवेश शुल्क | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | | उद्यमिता/पर्यावरण/कम्प्यूटर जागरूकता | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 3 | | वाचनालय | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | | छात्र संघ प्रवेश | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 5 | | जनभागीदारी | 1080 | 1200 | 2250 | 3420 | 6200 |
| 6 | | वार्षिक उत्सव | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 7 | | विश्वविद्यालय शरीरिक शिक्षा शुल्क | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 8 | | सांस्कृतिक शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 9 | | प्रायोगिक शुल्क | 50 | 150 | 0 | 100 | |
| 10 | | साइकल स्टैण्ड | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | | अवधान राशि | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | **कुल योग** | **1660** | **188** | **2780** | **4050** | **6340** |
| 12 | | संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिये निर्धारित किया गया परीक्षा शुल्क | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय | विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय |
| 13 | | शिक्षण शुल्क | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| | | सम्मिलित निधि | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | क्रीड़ा गतिविधियाँ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | निर्धन छात्र कल्याण निधि | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शन प्रकोष्ठ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | रेडक्रॉस सोसायटी शुल्क | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | अन्य शुल्क | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | **कुलयोग** | 300 | 300 | 340 | 340 | 300 |
| | | **महायोग** | **1960** | **2180** | **3120** | **4390** | **6640** |

# फीस जमा करने का माध्यम

महाविद्यालय में अध्ययनरत बी.ए., बी.एस-सी., एल.एल-बी., द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एम.ए. एवं एम.एस.सी. द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) के समस्त छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि सत्र 2025-2026 में उनकी प्रवेश शुल्क एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार की जायेगी। प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिये छात्र/ छात्रओं को सर्वप्रथम http://SMS.Mponline.gov.in पर जाकर Student Registration मीनू में अपना नामांकन नम्बर एवं जन्मतिथि डालकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिसके बाद छात्र/छात्राओं के रजिस्टर्ड मोबाइल पर पासवर्ड प्राप्त होगा। तत्पश्चात छात्र / छात्रा पुनः http:// SMS.Mponline.gov.in पर अपना आई.डी. नम्बर जो केवल नामांकन नम्बर होगा एवं पासवर्ड के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करेंगे। प्राप्त भुगतान रसीद को प्रवेश फार्म में लगाकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुये प्रवेश समिति के पास जमा करेंगें। छात्र/छात्रा प्रवेश शुल्क भुगतान की एक प्रति रसीद अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। सत्र 2025-26 में किसी भी प्रकार से आफलाइन प्रवेश शुल्क जमा नहीं होगी। प्रवेश तिथि के 60 दिवस पश्चात फीस वापसी का कोई प्रावधान नहीं है।

http://SMS.Mponline.gov.in पोर्टल में रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश शुल्क के भुगतान संबंधी जानकारी के लिये महाविद्यालय के ऑनलाइन प्रभारी या प्रवेश समिति से सम्पर्क कर सकते हैं।

**आदेशानुसार प्राचार्य**

**शा. महाविद्यालय त्योंथर**

# शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय त्योंथर

## स्टाफ-सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. अंजना सिंह | प्राचार्य (प्राध्यापक अर्थशास्त्र) |
| 2. | श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा | सहा. प्राध्यापक इतिहास |
| 3. | डॉ. दीपेन्द्र तिवारी | सहा. प्राध्यापक भूगोल |
| 4. | डॉ. मीनाक्षी मेरावी | सहा. प्राध्यापक भूगोल (पी.एम.श्री जबलपुर) |
| 5. | डॉ. रणधीर सिंह | सहा. प्राध्यापक विधि |
| 6. | गिरीश राय | सहा. प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र |
| 7. | डॉ. बृजभान यादव | सहा. प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र |
| 8. | डॉ. तीरथ जायसवाल | सहा. प्राध्यापक समाजशास्त्र |
| 9. | डॉ. श्रवण कुमार मौर्य | क्रीड़ाधिकारी |
| 10. | डॉ. अभिषेक श्रीवास्तव | अतिथि विद्वान वनस्पति शास्त्र |
| 11. | डॉ. राजकरण चर्मकार | अतिथि विद्वान समाज शास्त्र |
| 12. | डॉ. सतोष कुमार सिंह | अतिथि विद्वान रसायन शास्त्र |
| 13. | डॉ. रंजना शर्मा | अतिथि विद्वान रसायन शास्त्र |
| 14. | डॉ. इन्द्र दत्त मिश्रा | अतिथि विद्वान प्राणि शास्त्र |
| 15. | डॉ. उमेश प्रसाद पटेल | अतिथि विद्वान प्राणि शास्त्र |
| 16. | डॉ. सुभाष चन्द्र चौधरी | अतिथि विद्वान राजनीति शास्त्र |
| 17. | डॉ. भास्कर प्रसाद तिवारी | अतिथि विद्वान भूगोल |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | डॉ. अभिलाषा शुक्ला | - | अतिथि विद्वान अंग्रेजी |
| 19. | डॉ. बिन्जू कुमारी | - | अतिथि विद्वान हिन्दी |
| 20. | श्री विवेक द्विवेदी | - | अतिथि विद्वान भौतिक शास्त्र |
| 21. | डॉ. लवलेश प्रसाद तिवारी | - | अतिथि विद्वान विधि |
| 22. | श्री अशीम कुमार मिश्र | - | सहा. ग्रेड. 03 |
| 23. | श्रीमती कमला शुक्ला | - | सहा. ग्रेड. 03 |
| 24. | श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनकर | - | प्रयोगशाला परिचारक |
| 25. | श्री कोमल प्रसाद शुक्ला | - | प्रयोगशाला परिचारक |
| 26. | श्री ऋषिराज सिंह | - | चौकीदार |
| 27 | श्री अश्वनी कुमार द्विवेदी | - | कार्यालय सहायक |
| 28 | श्री नागेन्द्र कुमार वर्मा | - | कम्प्यूटर ऑपरेटर |
| 29. | श्री पुष्पेन्द्र कुमार समदरिया - | - | कम्प्यूटर ऑपरेटर |
| 30 | श्री जीतेन्द्र द्विवेदी | - | कार्यालय सहायक |
| 31. | श्री उमाशंकर शुक्ल | - | कार्यालय सहायक |
| 32. | श्री संदीप कुमार शुक्ला | - | भृत्य |
| 33. | श्री आशीष कुमार मेहतर | - | स्वीपर |
| 34 | अतुल कुमार मेहतर | - | स्वीपर |

# वाह्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु

## पुलिस सत्यापन फार्म ..................

1. नाम .................................................................... आयु..........................

2. निवास स्थान ..........................................................................

   पता (स्थायी) ..........................................................................

   पता (वर्तमान) ..........................................................................

3. पुलिस थाना क्षेत्र ..........................................................................

4. पूर्व का विद्यालय/महाविद्यालय ..........................................................

5. शरीर पर विशेष निशान..........................................................................

6. आपराधिक प्रकरणों की जानकारी ..........................................................

7. स्थायी निवास स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम जो आवेदक को जानते हैं।

| | नाम | पता | व्यवसाय | टेलीफोन |
|---|---|---|---|---|
| (अ) | | | | |
| (ब) | | | | |

# राज्य से बाहर के अभ्यार्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र

## शपथ पत्र का प्रारूप

मै ........................................ पिता का नाम ........................................

स्थान ........................................................ दूरभाष क्रमांक ..............................

मोबाइल नंबर ........................................... ने कक्षा ................ में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

दिया है। प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध नहीं हुआ है न ही वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण किसी संबंधित चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही अभि न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है। प्रवेश के पश्चात् कोई आपराधिक तथ्य/महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होते है तो छात्र के विरूद्ध निष्कासन/निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त जानकारी पूर्ण सत्य है।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर ....................